दिनांक 08.02.2020 को माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त वाणिज्य–कर मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमस एण्ड इण्डस्ट्रीज के द्वारा उद्योग एवं अन्य मामलों से संबंधित समर्पित ज्ञापन

1. राज्य में उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की mid term समीक्षा उपरांत कुछ संशोधन GST प्रतिपूर्ति के लिए किया हैं जिसका हम स्वागत करते हैं।

जुलाई 2017 से देश में GST लागु होने के उपरांत वैट प्रतिपूर्ति के स्थान पर GST प्रतिपूर्ति हेतु सरकार द्वारा नीति निर्धारित होने के बावजुद भी इससे संबंधित Rules & Regulation नही होने की वजह से 2017 जुलाई से ही GST प्रतिपूति का क्लेम अभी तक बाकी है। अत: विगत् 33 महीने के क्लेम हेतु भी 2020-21 के बजट में प्रावधान करने की आवश्यकता है।

हमारा सरकार से सुझाव होगा कि गत् वर्ष 821.17 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया था जिसे 2020-21 के लिए कम से कम 2000 करोड़ रू० किया जाये ताकि उद्योगों के दावों के निपटारे में विलंब न हो ।

2. **औद्योगिक विकास निधि का गठन एवं बजट में प्रावधान**

राज्य में अवस्थित कार्यरत एवं नवीन उद्योगों के विकास हेतु सरकार को हमारा सुझाव है कि राजय में एक औद्योगिक विकास निधि का गठन किया जाएं इस निधि के फंड का उपयोग राज्य में उद्योगों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास, सीड पूंजी की उपलब्धता, कार्यरत उद्योगों के उन्नयन, रूग्ण एवं bankruptcy के तहत आए MSME उद्योगों को पूर्नजीवित करने हेतु किया जाना चाहिए।

इस निधि का गठन 1000 करोड़ रूपये के आरंभिक शुरूआत के साथ किया जाना चाहिए एवं उसके उपरांत प्रत्येक वर्ष 250 करोड़ रूपये की राशि की वृद्धि की जानी चाहिए।

3. **औद्योगिक भूमि के संबंध में**

ऐसा काफी समय से महसूस किया जा रहा है कि बिहार में औद्योगिक विकास ढीला एवं असंतोषजनक रहने का मुख्य कारण औद्योगिक भूमि का अभाव है जिसकी वजह से सरकार उद्योग की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध नही करवा पाती है और नया उद्योग स्थापित नही हो पाते हैं।

इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि सरकार को प्रांत के हरेक जिले में अथवा दो–तीन जिलों को मिलाकर एक औद्योगिक क्षेत्र का आवश्यक रूप से निर्माण करना चाहिए। इस हेतु सरकार को खेती के काम में आ रही भूमि का ही किसानों से अधिग्रहण करके उद्योग की स्थापना हेतु जरूरतमंद निवेशक को आवंटित करना चाहिए। इस कार्य में निसंदेह सरकार की ओर से भूमि की लागत का निवेश करना होगा लेकिन औद्योगिक विकास के लिए यह अति आवश्यक है एवं इसके दूरगामी परिणाम बड़े ही अच्छे होंगे।

क्रमश:.....2

4. **बैंकों का नकारात्मक रवैया:–**

राज्य में निजी व्यापारिक अथवा राष्ट्रीयकृत बैक ऋण देने में काफी उदासीन भावना रखते हैं क्योंकि उनको ऐसी आशंका रहती है कि राज्य में अवस्थित किसी भी उद्योग को दिये जाने वाला ऋण का वापस भुगतान प्राप्त नही होगा। इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। राज्य में स्थित बैंक सिर्फ जमा एकत्र करने के केन्द्र के रूप मे विकसित हो रहे हैं, उन्हे राज्यहित में ऋण देने के कार्य में कोई दिलचस्पी नही है ।

राज्य में जमा धनराशि का प्रयोग इन बैकों द्वारा अन्य राज्यों में ऋण देने में किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप, राज्य में CD Ratio राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और । सरकार को रिजर्व बैक अथवा अन्य माध्यम से इन बैकों पर दबाव बढ़ाकर राज्य में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहिए, और असहयोगात्मक रवैया अपनाने वाले बैंकों को सरकारी जमा से वंचित किया जाना चाहिए ।

5. **चाय उद्योग के लिए अलग से प्रोत्साहन नीति तैयार किये जाने हेतु निवेदन**

बिहार के सीमांचल जिलों में बड़े पैमाने पर चाय की खेती हो रही है । इसलिए चाय उद्योग के लिए अलग से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति होनी चाहिए ।

6. **पर्यटन संबंधित**

हमारे राज्य में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के श्रद्धालुओं की रूचि को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने की नितान्त आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में विशेष प्रयास करना चाहिए। सरकार ने प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर जिस तरह की व्यवस्था एवं भागीदारी की थी वो पूरे देश भर में सिख श्रद्धालुओं द्वारा सराही गयी थी और काफी संख्या में श्रद्धालुगण पटना अथवा राजगीर पधारे थे।

2020 -21 के केन्द्रीय बजट में केन्द्र सरकार ने देश के पांच जगहों का Iconic Tourist Spot के रूप में चयन किया है। दूर्भाग्यवश बिहार के किसी पर्यटन स्थल को उसमें शामिल नही किया गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि बिहार के निम्नलिखित स्थलों यथा पावापुरी, काकोलत, बिक्रमशिला भागलपुर गया, नंदनगढ़, लौरिया बेतिया, केसरिया, बराबर की गुफा, सीतामढ़ी को भी पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाना चाहिए।

इस हेतु सरकार को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को पर्याप्त राशि उपलब्ध करानी चाहिए, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही PPP mode पर Tourist Sopt को विकसित करने हेतु नई–नई स्कीम दी जानी चाहिए।

7. **सोलर पावर के प्रश्रय हेतु सब्सिडी**

सरकार ने राज्य में सरकारी, गैर–सरकारी अथवा निजी भवनों के छत पर सोलर पैनल लगाकर उर्जा के वैक्लपिक श्रोत के रूप में अत्यधिक बढ़ावा देने हेतु लागत की 55% सब्सिडी अनुदान के रूप में देने की योजना लागु की थी।

हमारा सुझाव होगा कि उक्त योजना को भी लागू रखना चाहिए और इसका अत्यधिक प्रचार–प्रसार करने की भी जरूरत है ताकि लोग योजना का लाभ उठा सके।

क्रमशः.....3

8. **<u>खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित उत्पाद के निर्यात हेतु संस्था का गठन</u>**

हमारा राज्य उपजाउ भूमि एवं मेहनतशील श्रम उपलब्ध रहने की वजह से खेती पर विशेष आश्रित है और इसके विकास की अपार संभावनाएँ भी विद्यमान है।

राज्य में फल, सब्जी, खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उत्पादों का निर्यात करके अर्थव्यवस्था में काफी योगदान प्राप्त किया जा सकता है।

इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि राज्य में निर्यात की सुविधा प्रदान करने हेतु एक सहयोग संस्था का गठन किया जाये ताकि जरूरतमंद लोगों को उनके उत्पादों के निर्यात हेतु आवश्यक जानकारी एवं सुविधा प्रदान की जा सके। इस संस्था की शाखाएँ क्षेत्रवार स्थापित की जानी चाहिए ताकि लोगों को अपने स्थान के नजदीक में ही सुविधा उपलब्ध हो सके।

9. **<u>विद्युत संबंधित</u>**

विगत् वर्षों में राज्य में विद्युत की आपूर्ति में काफी सुधार हुआ है और अब विद्युत ना रहने की वजह से उद्योग एवं व्यापार को हो रही दिक्कतों में काफी हद तक कमी आयी है। जिसके लिए हम सरकार के प्रयासों की भूरी–भूरी सराहना करते है।

लेकिन हमारे राज्य में वर्त्तमान में लागू विद्युत दर काफी अधिक है और पड़ोसी राज्यों यथा झारखंड एवं बंगाल से तुलना की जाए तो यह दर 1½ से 2 गुणा अधिक होती है। इस संदर्भ में एक तुलनात्मक चार्ट आपके अवलोकनार्थ संलग्न है :

COMPARISON CHART OF EFFECTIVE ELECTRIC CHARGES TO HTTS

		DVC			**JSEB**			BIHAR						**DURG APUR**	**JINDAL STEEL & POWER LTD**		
		JHARKHAND			JHARKHAND			HTSS		HT		(DPL)			RAIGARH		
Demand charges	Rs.	600	/KVA	Rs.	500	/KVA	Rs.	700	/KVA	Rs 300	/KVA	Rs.	384	/KVA	Rs.	NIL	/KVA
Unit charges	Rs.	2.95	/Unit	Rs.	4.00	/Unit	Rs.	4.19	/Unit	Rs. 6.60	/Unit	Rs.	4.20	/Unit	Rs.	4.35	/Unit
ED	Rs.	0.05	/Unit	Rs.	0.05	/Unit	Rs.	6%	/Unit	Rs. 6%	/Unit	Rs.	0.29	/Unit	Rs.	0.36	/Unit
Power Factor Rebate		0.00	%		0.00	%		0	%		%		7.00	%		0.00	%
Voltage Rebate		2.00	%		3.00	%		0	%		%		0.00	%		0.00	%
Load Factor Rebate		5.00	%		0.00	%		0	%		%		2.50	%		0.00	%
Prompt Payment Rebate/e-payment					0.05	%		1.44	%				1.00	%			%
State subsidy							Rs.	0.09	/KVA								

क्रमशः.....4

Effective Per Unit Rate @ 75% Load Factor	Rs.	3.90	/Unit	Rs.	4.95	/Unit	Rs.	5.45	/Unit	Rs. 7.55	/Unit		4.60	/Unit	Rs.	4.71	/Unit
Effective per unit rate @ 50% load factor										Rs. 7.83							

उँची बिजली की दर की वजह से राज्य में अवस्थित उद्योगों की उत्पादन लागत पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा अधिक आती है और इस वजह से पड़ोसी राज्यों से आकर उत्पाद बिहार में बिक रहा है एवं राज्य के उद्योग बंदी की कगार पर आ रहे है।

इस संदर्भ में हमारा सरकार से सुझाव एवं आग्रह है कि बिजली की दर को पूर्णनिर्धारण करके पड़ोसी राज्यों के समकक्ष किया जाये अथवा उद्योगों को सब्सीडी के रूप में सहयोग राशि दी जानी चाहिए ताकि उद्योगों को बचाया जा सके।

10. **Information Technology से संबंधित**

प्रांत का मेघावी युवा वर्ग साधनों एवं सुविधाओं की कमी की वजह से आज मजबुरन बाहर जाकर काम करता है। यदि राज्य सरकार IT एवं ITe Sector के विकास के लिए आवश्यक नीति निर्धारण करके प्रांत में ही सुविधाओं को उपलब्ध कराती है तो निसंदेह इस क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। इस हेतु हमारे निम्न सुझाव है:—

(i) **Land/Office Space :** IT & ITe Sector के विकास के लिए सरकार को Land/Office Space की व्यवस्था करने की जरूरत है । यद्यपि सरकार ने राजगीर में आई.टी. पार्क, बिहटा में आई.टी. वीलेज एवं पटना में आई.टी. टावर बनाने का नीतिगत निर्णय लिया था लेकिन अभी तक इस दिशा में खास प्रगति नही हो पायी है। इस संबंध में सुझाव है कि बजट में इस हेतु प्रावधान किया जाये जिससे कि राज्य में आई. टी. उद्योग का विकास हो ।

सरकार को इन जगहों का विकास करके लीज आधार पर कम rent पर जगह उपलब्ध करानी चाहिए ताकि राज्य में IT से जुड़े लोग राज्य में अपना योगदान दे सके।

(ii) **IT Sector Service Funding** : ITes अथवा IT सेवा की सबसे प्रमुख जरूरत कार्यशील पूंजी यानि working Capital है और सही वित्त पोषण के अभाव में इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा । बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थायें भी इस क्षेत्र के विकास हेतु पूंजी उपलब्ध नहीं करा पा रही है।

अत: हमारा सुझाव होगा कि आगामी बजट में IT सेवा के लिए आसान शर्तो पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि IT सेवा का विकास हमारे प्रदेश में हो सके।

(iii) **Local Preference** :— सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की खरीदारी स्थानयी स्तर पर होनी चाहिए। विभाग द्वारा समय—समय पर स्थानीय निकायों एवं निर्माताओं द्वारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एसेसरिज एवं सेवाये जैसी जरूरत हो उनके गुणवत्ता एवं सेवा अनुसार प्राथमिकता देनी चाहिए। MSME मापदण्ड के अनुसार समय—समय पर प्रदेश की खरीदारी में विशेष छुट को कार्यगत किया जाना चाहिए जो आगे चलकर GeM से खरीदारी में भी लागु किया जा सकता है।

(iv) सरकार के प्रत्येक विभाग में एक निश्चित प्रतिशत IT के विकास हेतु आवंटित की जानी चाहिए ताकि सरकारधीन हरेक विभाग IT सक्षम हो सके।

स्थान — पटना
दिनांक — 08.02.2020